an>

title: Need to ensure time-bound career progression for employees of Bhilai Steel Plant facing stagnation.

श्री तामृध्वज साहू **(दुर्ग) :** भिलाई इस्पात संयंत्र एवं भिलाई की खदानों में काम कर रहे करीब 8 से 10 हजार श्रमिक जो अपने अधिकतम वेतन श्रेणी में पहुँच कर एक ही पदनाम से "सेल नीति" की अवहेलना झेल रहे हैं तथा भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सेल नीति की पक्षाघात के शिकार हो रहा है।

श्रमिकों को जो अपने उच्चतम ग्रेड में पहुंच गए हैं, उन्हें ई-1 ग्रेड में पुनरीक्षित पदोन्नति दी जायेगी। 2010 में जहाँ नॉन एक्सजीक्यूटिव से एक्जीक्यूटिव बनने के लिए 3600 कर्मियों ने आवेदन किया था जिसमें से मात्र 370 श्रमिकों को प्रमोशन दिया गया। नियम में हर दो वर्षों के अंतराल में 10 प्रतिशत श्रमिकों को प्रमोशन का अवसर दिया जाना है। यह प्रक्रिया 2008 से रूकी हुई है। अविलंब कर्मचारी हित में आदेश जारी करना आवश्यक है।